न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 12/2015/एलआर

1. बद्रीसिंह पिता देवीसिह राव
   निवासी जई तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. लालसिंह पिता देवीसिंह राव – मृतक के बजाय
   1. भंवरसिंह पिता लालसिंह राव – मृतक के बजाय
      1. गोपीसिंह पिता भंवरसिह राव जरिये संरक्षक रामकन्या विधवा भंवरसिंह राव निवासी जई तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
      2. मु. रामकन्या विधवा भंवरसिह
         निवासी जई तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. सरदारसिंह पिता देवीसिंह राव
4. शंकरसिंह पिता जोरावरसिंह राव
5. नारायण सिंह पिता जोरावरसिंह राव
6. निहालकंवर विधवा जोरावरसिंह राव
   सभी निवासी जई तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

मैसर्स बिरला कॉरपोरेशन जरिये ईकाई मैसर्स बिरला सीमेन्ट वर्क्स
चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़
दिनांक 11.12.1998 प्रकरण सं. 31/1994

उपस्थित – 1. श्री कृष्णगोपाल झंवर – अभिभाषक अपीलान्टस
2. कैलाश चन्द्र झंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक– 30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्टस के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने ग्राम जई तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 224, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 343, 343, 347, 356, 364, 365 को अवाप्ति हेतु धारा 89 एलआरएक्ट से आवेदन पेश किया जो बाद कार्यवाही स्वीकार किया गया उसे निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं तथ्यो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही अवैध है चूंकि विवादित आराजी नम्बर 224, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 343,

343, 347, 356, 364, 365 रेस्पोडेन्ट को माईनिग के लिये स्वीकृत ही नही है जिससे उन्हे आवेदन धारा 89 एलआरएक्ट पेश करने का अधिकार ही नही था इस प्रकार उक्त प्रकरण मे की गयी कुल कार्यवाही क्षैत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट के आवेदन मे विवादित आराजीयात को सेफ्टी जोन बता कर अवाप्त करना बताया है जबकि माईनिंग कानून मे सेफ्टी जोन बाबत कोई कानून नही है व इस बाबत राज्य सरकार की भी स्वीकृति नही है। अपीलान्टस को सुनवाई व साक्ष्य का मौका नही दिया गया एवं नोटिस की तामील भी नही कराई गई। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमा रेस्पोडेन्ट का आवेदन धारा 89 एलआरएक्ट खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट की राजस्व ग्राम जई तहसील चित्तौड़गढ़ का खसरा नम्बर 224, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 343, 343, 347, 356, 364, 365 जो धारा 89 के तहत माईनिग लीज के लिये अधिग्रहित कर दी गई जिसका उद्देश्य खनन करना था जबकि यह भूमि खनन के काम मे नही आकर मौके पर सुरक्षा के कार्य मे आई है। नियमो के कही भी सुरक्षा जोन का उल्लेख नही है। अधिग्रहण के पेटे बाजार दर से भुगतान नही किया गया तत्समय की डीएलसी दर पर भुगतान किया गया है। जहां तक लिमिटेशन का प्रश्न है? अपीलान्ट पेशे से किसान है जिसके कारण दिनांक 23/07/1997 को किये गये अधिग्रहण के विरूद्ध 2015 मे अपील पेश की गई है क्योकि जब राजस्व कर्मचारी भूमि का कब्जा लेने आये तब उनकी जानकारी मे आया कि निर्णय उनके विरूद्ध हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत समझौते पर न तो दिनांक है तथा न ही किसी के द्वारा पहचान की गई है। वकील अपीलान्ट द्वारा आरजेटी 2016 पार्ट–3 पेज 1544 की नजीर प्रस्तुत की गई है एवं निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट लिमिटेशन मे मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि इस प्रकरण मे निर्णय समझौते के आधार पर है जो फैसले की चरण संख्या 3 मे उल्लेखित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09/07/1997 से भी यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर अवार्ड जारी किया गया है। अवार्ड के विरूद्ध अपीलान्ट को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय मे रेफरेन्स प्रस्तुत करना चाहिये था। ऐसा एक रेफरेन्स

संख्या 134/2007 बद्रीसिंह बनाम बिरला सीमेन्ट विचाराधीन है। आरआरडी 2017 पेज 627 राजस्थान उच्च न्यायालय तथा आरएलडब्ल्यु 2012 वाल्युम 4 पेज 3281, आरआरडी 1981 पेज 87, आरआरडी 2006 पेज 366 मे प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार यदि कोई निर्णय राजीनामे पर आधारित है तो उसमे कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नही कर सकते। साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार इसमे एस्टोपल का सिद्वान्त लागू होता है। एक अन्य प्रकरण मे अपीलान्ट रेफरेन्स मे नही गई है। अपीलान्ट स्वंय ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित रहकर सहमति प्रकट की है। सुरक्षा जोन भी माईनिग की श्रेणी मे आता है जो सीमेन्ट फैक्ट्री का अभिन्न हिस्सा होता है। अपीलार्थी द्वारा मुआवजे की राशि प्राप्त कर इसका लाभ उठाया जा चुका है जिसके कारण अब वह कोई रेफरेन्स/अपील करने का विधिक अधिकार नही रखता है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा स्वंय समझौता कर अवार्ड राशि का उपभोग कर लिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सेफ्टी जोन माईनिग की श्रेणी मे ही आता है क्योकि सुरक्षा जोन सीमेन्ट फैक्ट्री का अभिन्न हिस्सा होता है। यदि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नही था तो चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायालय मे जमा कराना चाहिये था तथा रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जो कि नही किया गया। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समझौते के आधार पर पारित अवार्ड जारी करने मे किसी प्रकार की त्रुटि नही पाई जाती है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 31/1994 मे पारित निर्णय दिनांक 11/12/1998 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ